# कार्यालय कलेक्टर ( जिला पेंशन शाखा ) सीहोर म.प्र.

क्रमांक / 136 / पेंशन / 2015 सीहोर दिनांक 08.05.2015

प्रति,

कार्यालय प्रमुख / आहरण एवं संवितरण अधिकारी
............................ (समस्त) जिला सीहोर

विषयः– 31 मार्च 2015 तक सेवा निवृत्त / मृत शासकीय सेवकों का 30 जून 2015 तक पेंशन प्रकरणों का शत–प्रतिशत निराकरण का लक्ष्य प्राप्त करने बाबत्।

संदर्भः– संचालक, पेंशन,भविष्य निधि एवं बीमा म.प्र.शासन का पत्र क्र0 60 दिनांक 10.04.2015

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के अनुक्रम में जिले के समस्त डी. डी. ओ. / कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित किया जाता है कि जिला कार्यालयों एवं अधिनस्थ कार्यालयों में 31 मार्च 2015 तक सेवा निवृत्त / मृत शासकीय सेवकों के लंबित पेंशन प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करने हेतु लंबित पेंशन प्रकरण जिला पेंशन कार्यालय सीहोर में तत्काल प्रस्तुत करे ताकि प्रकरणों का पंजीयन एवं परीक्षण कर 30 जून 2015 तक अनिवार्य रूप से निराकरण सुनिश्चित किया जा सके।

30 जून 2015 के पश्चात 31 मार्च 2015 के पूर्व सेवा निवृत्त / मृत शासकीय सेवकों के किसी भी प्रकरण का पंजीयन बिना संचालनालय पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा भोपाल की सहमति के नहीं हो सकेगें।

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही समय सीमा के भीतर करना सुनिश्चित करें । नियत दिनांक 30.06.2015 तक लबिंत पेंशन प्रकरणों का निराकरण न होने की स्थिति में संबंधित कार्यालय प्रमुखों के विरूध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए मुख्य सचिव तथा अपर मुख्य सचिव वित को अवगत कराया जावेगा।

कलेक्टर
सीहोर म.प्र.

पृ. क्रमांक / 137 / पेंशन / 2015 सीहोर दिनांक 08/05/2015

प्रतिलिपि – 1. आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संचालक, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

कलेक्टर
सीहोर म.प्र.